बिहार विधान परिषद् सचिवालय

विज्ञापन सं.-04/2023

(कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु)

आवश्यक सूचना

(प्रमाण पत्रों का सत्यापन)

बिहार विधान परिषद् सचिवालय के विज्ञापन सं.-04/2023 के आलोक में कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 05.03.2024 को प्रकाशित संशोधित अंतिम परीक्षाफल में स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतीनि/पोता/पोती कोटि के अंतर्गत सफल घोषित अनुक्रमांक – 4105455 के प्रमाण पत्रों का सत्यापन परिषद् सचिवालय के बिस्तारित भवन में दिनांक 07.03.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. में होगा। अभ्यर्थी निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व उक्त स्थान पर निधित रूप से पहुंच जाएं। अभ्यर्थी सत्यापन हेतु विज्ञापन के अनुसार आवश्यक अन्य प्रमाण-पत्र के साथ-साथ निम्नलिखित कागजात के साथ उपस्थित होंगे :-

1. ऑनलाईन आवेदन की डाउनलोड प्रति।
2. प्रवेश पत्र (**Admit Card**) की प्रति।
3. परीक्षार्थी अपना पहचान-पत्र (**मूल प्रति में**) यथा मतदाता पहचान-पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड या ई-आधार (**कलर प्रिंट**) आदि के साथ उपस्थित होंगे।
4. चार पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो।
5. मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाप-पत्र (**मूल प्रति एवं एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति**)।
6. आवासीय प्रमाण-पत्र (**मूल प्रति एवं एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति**)।
7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए:- ऑनलाईन आवेदन पत्र में जिस आरक्षण कोटि का दावा किया गया है उसी आरक्षण कोटि का जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
8. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक -2342, दिनांक -18.02.2016 के आलोक में आरक्षण दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास ऑनलाईन आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्रधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक -11687 दिनांक 30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण –पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी परिचय पत्र मान्य नहीं है) ।
9. अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए (मूल प्रति एवं एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
   i. जाति -प्रमाण पत्र।
   ii. स्थायी निवासी (डोमिसाईल) प्रमाण-पत्र ।
10. प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा ।
11. अभ्यर्थी बिना पूर्व सूचना के प्रमाण-पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होगे अथवा वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जाएगा तथा उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर परिषद् सचिवालय निर्णय ले सकता है।

05.03.2024

(कमलेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक
बिहार विधान परिषद्